Note: The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 21, dated the 3rd January, 2005 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 216, dated the 3rd November, 2010.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 431.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक जल-मौसम विज्ञानी भर्ती नियम, 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक जल-मौसम विज्ञानी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक जल मौसम विज्ञानी, पद भर्ती नियम, 1997 - (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में , नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्;

"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं" ।

3. उक्त नियम की अनुसूची में, –

(क) स्तम्भ 4 में, स्तम्भ शीर्षक और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47,600 रु.)"

(ख) स्तम्भ 12 में –

(i) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएंगी, अर्थात्:-

"ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (जल-मौसम विज्ञानी) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जो राष्ट्रीय भूमिगत जल अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर से न्यूनतम चार सप्ताह का इंडकशन स्तर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो"| ;

(ii) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन मद (क) में, उपमद (ii) और उपमद (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपमद रखा जाएगा , अर्थात्:-

"(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400 रु.) के पदों में छह वर्ष नियमित सेवा की है;" ।

[फा. सं. ए-31012/05/2017-सीजीडब्ल्यूबी]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 47, तारीख 28 फरवरी, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 448, तारीख 18 अगस्त, 2001 द्वारा संशोधन किया गया था ।

New Delhi, the 30th November, 2017

G.S.R. 431.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Assistant Hydrometeorologist) Recruitment Rules, 1997, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Assistant Hydrometeorologist) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board (Assistant Hydrometeorologist) Recruitment Rules, 1997 (hereinafter referred to as the said rules), for rules 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.".

3. In the said rules, in the Schedule,-

(a) in column 4, for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix
4
Level 8 (Rs.47,600) in the pay matrix.";

(b) in column 12,-

(i) under heading "Promotion", for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Senior Technical Assistant (Hydrometeorologist) with three years regular service in the grade and have successfully completed minimum four weeks induction level training from the National Ground Water Research and Training Institute, Raipur.";

(ii) under the heading "Deputation", in item (a), for sub-items (ii) and (iii), the following sub-item shall be substituted, namely:-

"(ii) with six years regular service in posts in level-6 (Rs. 35400) in the pay matrix;".

[F. No. A-31012/05/2017-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 47, dated the 28th February, 1998 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 448, dated the 18th August, 2001.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 432. —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डिस्पैच राइडर (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2001

सा.का.नि.448—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक जल मौसम विज्ञानी) भर्ती, नियम, 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक जल मौसम विज्ञानी) भर्ती, (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक जल मौसम विज्ञानी) भर्ती, नियम, 1997 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
सहायक जल मौसम विज्ञानी	4* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	6500-200-10500 रु.

योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नही	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
5	6	7
चयन सह ज्येष्ठता	नही	30 वर्ष से अधिक नही (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत मे अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मौसम विज्ञान/भौतिक विज्ञान/अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान/भू भौतिकी/ गणित/सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य (ii) मौसम विज्ञान संबंधी कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण : 1—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण : —अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा ।
11	12
प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति :—ऐसा ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (जल मौसम विज्ञान) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इन में से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा को अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 6500-9000 रू. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हैं, या

12

(iii) जिन्होंने 5000-8000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास सीधे भर्ती के कर जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित शैक्षिक अर्हता है।

टिप्पण. 1—(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति कीसीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे।

टिप्पण : 2—प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतय ' वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड—अध्यक्ष 2. सदस्य, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड—सदस्य 3. उप सचिव (भूमिगत जल) जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य	सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 21/7/99—जी. डब्ल्यू-I]

मोहन सिंह सैनी, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 47 दिनांक 8 फरवरी, 1998 को प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 25th July, 2001.

G.S.R. 448.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board (Assistant Hydrometeorologist) Recruitment Rules, 1997, namely :

1. (i) These rules may be called the Central Ground Water Board (Assistant Hydrometeorologist) Recruitment (Amendment) Rules, 2001.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule to the Central Ground Water Board (Assistant Hydrometeorologist) Recruitment s, 1997, the following Schedule shall be substituted namely :

SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection-cum-seniority or selection by merit or non-selection posts	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Assistant Hydrometeorologist.	4* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 6500-200-10500	Selection-cum-seniority	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential : (i) Master's degree in Meteorology/ Physics Applied Physics/Geophysics/Mathematics/Statistics from a Recognised University or equivalent. (ii) Three years exeprience in Mateorological work. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age No Educational Qualification : Yes.	Two years for direct recruits.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	PROMOTION : Senior Technical Assisiant (Hydrometeorology) with three years regular service in the grade. NOTE : Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying eligibility service. DEPUTATION : Officers under the Central/State Governments : (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with three years regular service in posts in the scale of Rs. 5500-9000 or equivalent; or (iii) with six years regular service in posts in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; and (b) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits in column 8. NOTE 1 : The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. NOTE 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date prescribed for receipt of applications.

If a Departmental Promotion Commission exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation :— 1. Chairman, Central Ground Water Board—Chairman 2. Member, Central Ground Water Board—Member 3. Deputy Secretary (GW) Ministry of Water Resources—Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

[F.No.21/7/99-GW.I]

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 47 dated 28th February, 1998.